Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 83-2022/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, MAY 11, 2022 (VAISAKHA 21, 1944 SAKA)

हरियाणा सरकार

विद्यालय शिक्षा विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 मई, 2022

संख्या 33/1–2021 पी०एस०(1).— निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 35), की धारा 38 की उप–धारा (2) के साथ पठित उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं; अर्थात् :–

1. (1) ये नियम हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2022, कहे जा सकते हैं।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. हरियाणा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 (जिन्हें, इसमें, इसके बाद, उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (च) तथा (ट) का लोप कर दिया जाएगा।

3. उक्त नियमों में, नियम 7 में,–

(i) उप–नियम (4) में, प्रथम तथा द्वितीय परन्तुक के स्थान पर, निम्नलिखित परन्तुक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"परन्तु यदि विशेष विद्यालय में प्रवेश के लिए आवेदकों की संख्या कमजोर वर्गों तथा अलाभप्रद ग्रुपों से सम्बन्धित बालकों के लिए सीटों की संख्या से अधिक है, तो प्रवेश ड्रॉ ऑफ लॉटस द्वारा किया जाएगा।" ।

(ii) उप–नियम (7) का लोप कर दिया जाएगा।

4. उक्त नियमों में, नियम 12 में,–

(i) उप–नियम (3) में, "सम्बद्ध ग्राम पंचायत का सरपंच/वार्ड का नगरपालिका पार्षद, जिसमें विद्यालय स्थित है" शब्दों तथा चिन्ह के स्थान पर "शहर/गाँव, या आसपास के गाँव के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य" शब्द तथा चिन्ह प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

(ii) उप–नियम (4) में, "मौलिक शिक्षा निदेशालय के अपर निदेशक (प्रशासन)/संयुक्त निदेशक (प्रशासन)" शब्दों, कोष्ठकों तथा चिन्हों के स्थान पर "निदेशक या उस द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे ;

5. उक्त नियमों में, नियम 13 के स्थान पर निम्नलिखित नियम, प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :–

"13. विद्यालय की मान्यता वापस लेना.– (1) जहाँ जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, स्वःप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्राप्त किसी प्रतिवेदन पर, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से विश्वास करने का कारण रखता है कि नियम 12 के अधीन

मान्यता प्राप्त किसी विद्यालय द्वारा मान्यता प्रदान किए जाने के लिए शर्तों में से एक या अधिक का उल्लंघन किया है या अनुसूची में विर्निदिष्ट मानदंडों और मानकों को पूरा करने में असफल रहा है, तो जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी निम्नलिखित रीति में कार्य करेगाः–

(क) मान्यता प्रदान करने की शर्तों के उल्लंघन को विनिर्दिष्ट करते हुए विद्यालय को नोटिस जारी करना और एक मास के भीतर उसका स्पष्टीकरण मांगना ;

(ख) स्पष्टीकरण के समाधानप्रद न पाए जाने या नियत समयावधि के भीतर स्पष्टीकरण प्राप्त न होने की दशा में सम्बन्धित जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, तीन से पाँच सदस्यों की एक समिति द्वारा विद्यालय का निरीक्षण करवा सकता है, जो विधिवत् जाँच करेगी और मान्यता को जारी रखने या इसकी वापसी या दण्ड के लिए अपनी सिफारिशों के साथ उक्त अधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी ;

(ग) समिति की रिपोर्ट और सिफारिशों की प्राप्ति पर, वह निदेशक, मौलिक शिक्षा के अनुमोदन से मान्यता को वापिस लेने के आदेश पारित कर सकता है या जुर्माना लगा सकता है, जिसे एक लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता हैः

परन्तु विद्यालय को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान किए बिना मान्यता को रद्द किए जाने के आदेश पारित नहीं किए जाएंगे।

(2) उप–नियम (1) के अधीन पारित मान्यता वापस लेने का आदेश तुरन्त उत्तरवर्ती शैक्षणिक वर्ष से लागू होगा और आस–पड़ोस के स्कूलों को विनिर्दिष्ट करेगा, जिनमें उस स्कूल के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।

(3) उप–नियम (1) तथा (2) में दी गई किसी भी बात के विपरीत होते हुए भी, निदेशक या तो स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति से प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, प्रबन्धक समिति को या तो प्रत्यक्ष रूप से या विद्यालय के प्रधानाचार्य/मुखिया के माध्यम से अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों या इसके अधीन जारी निर्देश के प्रतिकूल किए गए कार्यों के लोप या/और चूक की ओर ध्यान दिलाते हुए लिखित नोटिस देने के बाद, मान्यता/एन.ओ.सी. वापस ले सकता है या ऐसा जुर्माना, जो दो लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, अधिरोपित कर सकता है।

6. उक्त नियमों में, नियम 14 में,–

(i) उपनियम (3) में, खण्ड (क), (ख) तथा (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किए जाएगे, अर्थात् :–

"(क) एक सदस्य, स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि ;

(ख) दो सदस्य विद्यालय के अध्यापकों में से, जिसका विनिश्चय विद्यालय के अध्यापकों द्वारा किया जाएगा ;

(ग) एक सदस्य शिक्षा के क्षेत्र से सम्बन्धित सामाजिक कार्यकर्ता"।

(ii) उप–नियम (4) का लोप कर दिया जाएगा।

7. उक्त नियमों में, परिशिष्ट–II में,–

(i) क्रम संख्या 1, 2 तथा 3 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"1	भूमि (शहरी/नियंत्रित क्षेत्र)	हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में यथा विहित।	हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में यथा विहित।
2	भूमि (ग्रामीण क्षेत्र)	हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में यथा विहित।	हरियाणा विद्यालय शिक्षा नियम, 2003 में यथा विहित।
3	भवन	सभी मौसम भूकम्परोधी भवन बाधा मुक्त पहुँच (हरियाणा भवन संहिता, 2017 में यथा विहित रैम्प या लिफ्ट)।	सभी मौसम भूकम्परोधी भवन बाधा मुक्त पहुँच (हरियाणा भवन संहिता, 2017 में यथा विहित रैम्प या लिफ्ट)।" ;

(ii) क्रम संख्या 14 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"14	चारदीवारी	हरियाणा भवन संहिता, 2017 में यथा विहित।	हरियाणा भवन संहिता, 2017 में यथा विहित।";

(iii) क्रम संख्या 16 तथा उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या तथा उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

"14	सीढ़ी (यदि कोई हो)	हरियाणा भवन संहिता, 2017 में यथा विहित।	हरियाणा भवन संहिता, 2017 में यथा विहित।"।

डा० महावीर सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्यालय शिक्षा विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT

Notification

The 11th May, 2022

No. 33/1-2021 PS (1).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of Section 38 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (Central Act 35 of 2009), the Governor of Haryana hereby makes the following rules further to amend the Haryana Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011, namely: -

1. (1) These rules may be called the Haryana Right of Children to Free and Compulsory Education (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Haryana Right of Children to Free and Compulsory Education Rules, 2011 (hereinafter called the said rules), in rule 2, in sub rule (1), clauses (f) and (k) shall be omitted.

3. In the said rules, in rule 7,-

(i) in sub-rule (4), for first and second proviso, the following proviso shall be substituted, namely:-

"Provided that if the number of applicants for admission in a particular school is more than the number of seats for children belonging to weaker sections and disadvantaged groups, the admission shall be done by draw of lots".

(ii) sub-rule (7) shall be omitted.

4. In the said rules, in rule 12,-

(i) in sub-rule (3), for the words "the Sarpanch of the concerned Gram Panchayat or Municipal Councillor of the ward in which the school is situated" the words and sign, "Principal of Government Senior Secondary School of the city/village or nearby village" shall be substituted.

(ii) in sub-rule (4), for the words, sign and brackets "the Additional Director (Administration)/ Joint Director (Administration) of the Directorate of Elementary Education" the words "Director or any Officer authorized by him" shall be substituted.

5. In the said rules, for rule 13, the following rule shall be substituted, namely:-

"13**.** Withdrawal of recognition to schools.- (1) Where the District Elementary Education Officer either suo-motu, or on any representation received from any person, has reason to believe, to be recorded in writing, that a school recognized under rule 12 has violated one or more of the conditions for grant of recognition or has failed to fulfill the norms and standards specified in the Schedule, the District Elementary Education Officer shall act in the following manner:-

(a) issue a notice to the school specifying the violations of the conditions of grant of recognition and seek its explanation within one month;

(b) in case the explanation is not found to be satisfactory or no explanation is received within the stipulated time period, the concerned District Elementary Education Officer may cause an inspection of the school to be conducted by a Committee of three to five members which shall make due inquiry and submit its report, along with its recommendations for continuation of recognition or its withdrawal or penalty to the said Officer;

(c) On receipt of the report and recommendations of the Committee, he may pass order for withdrawal of recognition or impose a penalty which may extend to one lakh rupees with the approval of Director, Elementary Education.

Provided that no order for withdrawal of recognition shall be passed without giving the school adequate opportunity of being heard.

(2) The order of withdrawal of recognition passed under sub-section (1) shall be operative from the immediately succeeding academic year and shall specify the neighbourhood schools to which the children of that school shall be admitted.

(3) Notwithstanding anything contrary contained in sub-rule (1) and (2), the Director may either suo-motu or a representation received from any person may withdraw recognition/NOC or impose penalty which may extend to two lakh rupees after giving a written notice, drawing the attention of acts of omission or/and commission contrary to the Act and the Rules any on made there under or direction issued there under to the managing Committee either directly or through Principal/ Head of the School."

6. In the said rules, in rule 14,-

(i) in sub-rule (3), for clauses (a), (b) and (c), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(a) One member shall be an elected representative of the local authority;

(b) Two members from amongst teachers from the school, to be decided by the teachers of the school;

(c) One member shall be a social worker involved in the field of education".

(ii) sub-rule (4) shall be omitted.

7. In the said rules, in Appendix-II, -

(i) for serial numbers 1, 2 and 3 and entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"1	Land (Urban/ Controlled Area)	As prescribed in the Haryana School Education Rules, 2003	As prescribed in the Haryana School Education Rules, 2003
2	Land (Rural Area)	As prescribed in the Haryana School Education Rules, 2003	As prescribed in the Haryana School Education Rules, 2003
3	Building	All weather earthquake proof building. Barrier free access (Ramps or lifts as prescribed in the Haryana Building Code, 2017.	All weather earthquake proof building. Barrier free access (Ramps or lifts as prescribed in the Haryana Building Code, 2017" ;

(ii) for serial number 14 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"14	Boundary Wall	As prescribed in the Haryana Building Code, 2017.	As prescribed in the Haryana Building Code, 2017";

(iii) for serial number 16 and entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be substituted, namely:-

"16	Stairs (if any)	As prescribed in the Haryana Building Code, 2017.	As prescribed in the Haryana Building Code, 2017" .

DR. MAHAVIR SINGH,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
School Education Department.

9599—C.S.—H.G.P., Pkl.